

प्रपुर
५२
जा 14/०४-III-१५

द्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)



संध्या गौतम पति श्री डॉ० एन.के. गौतम निवासी—अनूपपुर, तहसील व
जिला—अनूपपुर (म०प्र०)आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती हेमागर्ग पति वेद प्रकाश गर्ग निवासी—अनूपपुर वार्ड नं० ९ थाना व
तह०—अनूपपुर, जिला—अनूपपुर (म०प्र०)

2. म०प्र० राज्यउत्तरवादी / गैरनिगरानीकर्ता

प्रथम राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 एम.पी.
एल.आर.सी. विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी
अनूपपुर के रा००प्र०क्र० 74/अप्र०/14-15 में
पारित आदेश दिनांक 28.10.2015 के विरुद्ध

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :-

1. यहकि, भूमि स्थित ग्राम परसवार प०ह० परसवार तहसील व जिला—अनूपपुर
म०प्र० स्थित आराजी खसरा नम्बर 817 रकवा 1.617 हे० भूमि के अंश रकवा
4800 वर्गफिट भूमि को निगरानीकर्ता से भूमि स्वामी उत्तरवादी से जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.08.2013 को क्रय किया था, तथा इसी
विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्ता ने नामांतरण का आवेदन तहसील
न्यायालय में प्रस्तुत किया था तथा यह निष्कर्ष दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि
वर्ष 1958-59 के खतौनी में गैर हकदार दर्ज थी तथा गैर हकदार दर्ज भूमि
को सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना अंतरण नहीं किया जा सकता है
परिणामतः निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन नामांतरण का तहसीलदार
अनूपपुर के द्वारा जरिये राजस्व प्रकरण क्रमांक 503/अ-६/2013-14 में
पारित आदेश दिनांक 09.06.2014 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया
जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता के द्वारा संहिता के प्रावधानों के तहत प्रथम
राजस्व अप्र० एस.डी.ओ. अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

Santosh

-2-

30/11/2016

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
 आदेश पृष्ठ
 भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4104—तीन / 2015

जिला अनूपपुर

संध्या गौतम

विरुद्ध

श्रीमती हेमागर्ग आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ते एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-1-2016	<p>आवेदक की ओर से दिनांक 25-1-16 को श्री एस0के0 अवस्थी अभिभाषक द्वारा वकालतनामा दिया गया और बहस के लिए समय दिया जाकर दिनांक 29-1-16 पेशी निर्धारित की गई। आज दिनांक 29-1-16 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक मेमो पर उपस्थित हुये। श्री श्रीवास्तव अभिभाषक का कहना है कि इस प्रकरण के मूल अभिभाषक श्री अवस्थी न्यायालय में उपस्थित हैं तो उन्हें बहस करना चाहिए। श्री अवस्थी ने कहा कि श्री श्रीवास्तव आज मेमो पर उपस्थित हैं इसलिए वे बहस करेंगे। श्री श्रीवास्तव द्वारा बहस हेतु पुनः समय चाहा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में दोनों में से कोई भी अभिभाषक बहस नहीं करना चाहते इसलिए याचिका का अवलोकन कर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।</p> <p>2/ याचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 74/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 28-10-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में</p>	

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4104-तीन / 2015

संध्या गौतम

विरुद्ध

श्रीमती हेमागर्ग आदि

जिला अनूपपुर

तहसीलदार द्वारा किये गये आदेश दिनांक 9-6-14 को किये गये नामांतरण आवेदन खारिज करने के आदेश को विधिअनुकूल माना है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पक्षकार सूचित हो प्रकरण नस्ती होकर दाखिल दफतर हो। इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम प्रकार के आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम आदेश है, अतः निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ. मधु खरे)
सदस्य